न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बिरौल, दरभंगा

Tej Narayan Paswan

TR- 2268/2019
GR- 02/2014

05.03.2020

आवेदक अभियुक्त 1. तेजनारायण पासवान 2. देवेन्द्र पासवान 3. मनोज पासवान 4. दीपक पासवान 5. अमेरिका देवी 6. मीरा देवी 7. सिंधु देवी 8. सोनिया देवी 9.मंजली देवी 10 संगीता कुमारी 11. सुचिता कुमारी की ओर से वकालतनामा के साथ जमानत आवेदन दाखिल किया गया, जिसकी प्रतिलिपि विद्वान सहायक अभियोजन पदाधिकारी को दी गई है। आवेदन प्रचालित किया गया।

बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदकों ने कोई अपराध नहीं किया है और इन्हे झूठा मुकदमा में फंसाया गया है। आवेदकों की ओर से कोई भी जमानत आवेदन किसी वरीय न्यायालयों में दाखिल नहीं किया गया है। प्रस्तुत वाद में धारा 341, 323, 504 भा0द0वि0 के अन्तर्गत अपराध का संज्ञान लिया गया, जो जमानतीय है। आवेदकों का संज्ञानोपरांत प्रथम उपस्थिति है। उभय पक्षों के बीच भूमि विवाद है। आवेदकों ने स्वेच्छापूर्वक न्यायालय के समक्ष आत्म–समर्पण कर दिया है तथा न्यायालय की संतुष्टि पर जमानत बंध–पत्र दाखिल करने को तैयार है। अतः आवेदकों को जमानत पर रिहा करने की कृपा की जाए।

अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक अभियोजन पदाधिकारी को सुना।

उभय पक्षों को सुनने तथा अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत वाद में धारा 341, 323, 504 भा0द0वि0 के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लिया गया है, जो सभी धाराएं जमानतीय है। आवेदकों का इस वाद में स्वेच्छापूर्वक प्रथम उपस्थिति है। आवेदकगण न्यायालय की संतुष्टि पर जमानत बंध–पत्र दाखिल करने को तैयार है। ऐसी स्थिति में आवेदकों की ओर से मो0 6000 X 1 रु0 के प्रतिभूव का जमानत बंध पत्र दाखिल करने पर जमानत की सुविधा प्रदान की जाती है।

(लेखापित)

अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी

पश्चात
05.03.2020

उपरोक्त आदेशानुसार आवेदकों की ओर से बिना टिकट शुल्क का जमानत बंध–पत्र, शपथ पत्र तथा प्रतिभू से संबंधित कागजातों की छायाप्रति दाखिल किया गया, जिसे जांचोपरांत सही पाकर ..... किया जाता है। आवेदकों को निर्देश दिया जाता है कि वांछित टिकट शुल्क पंद्रह दिनों के अंदर जमा करें।

(लेखापित)

अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी